न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय श्री भंवर लाल मेहरा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

क्रमांक/वि.अ./2022/469/भीलवाडा

विभागीय अपील द्वारा अपीलांट श्री सत्यनारायण भाटी, वरिष्ठ सहायक, सीबीईओ सुवाणा, जिला भीलवाडा विरूद्ध निर्णय जिला कलक्टर भीलवाडा के आदेश क्रमांक एफ1–17(1)()/स्था/2021/16179 दिनांक 11.10.2022 जो अपचारी कर्मचारी को राजस्थान सिविल सेवां (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत आरोपित आरोप साबित होने के कारण दो वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया है।

उपस्थितः– श्री सत्यनारायण भाटी, वरिष्ठ सहायक, सीबीईओ सुवाणा, जिला भीलवाडा

निर्णय

दिनांकः– 27.03.2023

यह अपील राजस्थान सिविल सेवाए (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 23 के अन्तर्गत जिला कलक्टर भीलवाडा के आदेश दिनांक 11.10.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवाए (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत विभागीय जांच प्रारम्भ करते हुए एक ज्ञापन क्रमांक एफ1–17(1)()/स्था/2021/16962 दिनांक 06.12.2021 द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की गई। अपीलार्थी पर निम्न आरोप लगाये गयेः–

आरोप संख्या 1

यह है कि श्री ज्ञानसिंह कोठारी, प्रधानाध्यापफ, रा0मा0वि0 बड़ा महुआ, ब्लॉक सुवाणा जिला भीलयाडा की राजकीय सेवा रहते हुए दिनांक 22.04.2021 को मुत्यु हो गयीं थी। श्री कोठारी की मृत्यु उपरान्त पेन्शन प्रकरण तैयार कर समय पर स्वीकृति प्राप्त करने संबंधी एवं उपार्जित अवकाश भुगतान सबंधी कार्यवाही आप द्वारा की जानी थी, किन्तु आप द्वारा वांछित कार्यवाही समय पर नहीं की गई। श्री कोठारी की पत्नी श्रीमती शारदा कोठारी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने, सम्पर्क करने के बावजूद आप द्वारा

समय पर उपार्जित अवकाश का भुगतान एवं पेंशन प्रकरण तैयार कर सक्षम स्तर पर अग्रेषित नहीं किया गया। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 2071/21 दिनांक 16.07.2021 एवं 14.09.2021 द्वारा भी विषयक प्रकरण के शीघ्र निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया, किन्तु आप द्वारा निर्देशों की पालना नही की गई है। जिससे मृतक राज्य कर्मचारी के आश्रितों को पेंशन एवं अन्य परिलाभ मिलने में अनावश्यक देरी हुई है। इस प्रकार आप द्वारा अपने पदीय कर्त्तव्यो का निर्वहन समय पर नहीं कर कार्य के प्रति घोर लापरवाही बरती हैं।

आरोप संख्या 2

यह है कि श्री ज्ञानसिंह कोठारी, प्रधानाध्यापक, रा0मा0वि० बडा महुआ, ब्लॉक सुवाणा जिला भीलवाड़ा की राजकीय सेवा में रहते हुए दिनांक 22.04.2021 को हो गयीं थी। अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम 1996 के प्रावधान अनुसार मृत राज्य कर्मचारी के आश्रित को अनुकम्पा नियुक्ति की जानी थी, किन्तु आप द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति संबंधी प्रकरण समय पर सक्षम कार्यालय, विभाग को अग्रेषित नहीं किया गया। जिससे मृत राज्य कर्मचारी के आश्रित की अनुकम्पा नियुक्ति में देरी हुई तथा मृत राज्य कर्मचारी के आश्रित का हित बाधित हुआ है। इस प्रकार आपके द्वारा अपने पदीय कर्त्तव्यों के प्रति लापरवाही एवं उच्च अधिकारियों के निर्देशों की पालना समय पर नहीं की गई है। जो कि अपने कार्य के प्रति घोर लापरवाही का द्योतक है।

अपीलार्थी को 15 दिवस के अन्दर आरोपित आरोपो का जवाब प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। इनके द्वारा दिनांक 31.03.2022 एवं 23.05.2022 को लिखित अभिकथन प्रस्तुत कर आरोप को अस्वीकार किया गया। जिला कलक्टर भीलवाडा द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान कर उनके विरूद्ध लगाये गये आरोप सिद्ध पाये जाने से अपीलार्थी को उक्त प्रकरण में दोषी मानते हुए राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत दो वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया है। जिला कलक्टर भीलवाडा के दण्डादेश दिनांक 11.10.2022 को इस अपील में चुनौती दी गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अपचारी कर्मचारी श्री सत्यनारायण भाटी, वरिष्ठ सहायक, सीबीईओ सुवाणा, जिला भीलवाडा को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा जिला कलक्टर भीलवाडा का रेकार्ड व टिप्पणी प्राप्त की गई।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मूल अपील पर जिला कलक्टर भीलवाडा के दण्डादेश दिनांक 11.10.2022 की टिप्पणी एवं मूल अभिलेख मंगवाया गया। जिसके द्वारा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब से संतुष्ट नही होने से अपीलार्थी पर आरोपित आरोप को सिद्ध मानते हुए राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत आरोपित आरोप साबित होने के कारण दो वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया है।

अपीलार्थी को व्यक्तिशः सुना गया। अपीलार्थी ने जवाब प्रस्तुत कर व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान निवेदन किया कि :—

(1) स्व0 श्री कोठारी प्र0अ0 की पेंशन प्रकरण इस कार्यालय में दिनांक 14.06.2021 को मृतक आश्रीता द्वारा संस्थापन शाखा हस्तगत हुआ।

(2) पेंशन प्रकरण दिनांक 14.06.2021 को प्राप्ति दिवस पर ही संस्थापन शाखा अपचारी कर्मचारी ने तुरन्त जरिए कार्यालय टिप्पणी ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सुवाणा जिला भीलवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत की किन्तु ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सुवाणा जिला भीलवाड़ा ने बिना किसी टिप्पणी प्रकरण शाखा में बिना हस्ताक्षर भिजवा दिया गया।

(3) पुनः प्रकरण दिनांक 13.07.2021 को ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सुवाणा जिला भीलवाड़ा के समक्ष प्रशा0 अधि0 व संस्थापन मूल प्रभारी श्री संजय शर्मा के जरिए पुनः कार्यालय टिप्पणी ओ0ए0 सहित प्रस्तुत की किन्तु बिना हस्ताक्षर लौटा दी गई।

(4) पुनः प्रकरण जरिए प्रशा0 अधि0 श्री संजय शर्मा द्वारा दिनांक 14.07.2021 को प्रस्तुत की किन्तु बिना हस्ताक्षर टिप्पणी ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सुवाणा ने शाखा को लौटा दिया।

(5) पुनः पेशन प्रकरण जरिए श्री संजय शर्मा टिप्पणी दिनांक 22.07.2021 को प्रस्तुत किया गया इसी के साथ कार्यालय के अधीन विद्यालयों में कार्यरत मृतक कार्मिकों के प्राप्त नियुक्ति/पेंशन प्रकरण ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सुवाणा को अपचारी कर्मचारी ने स्पष्ट टिप्पणी अवगत कराया गया एवं श्री कोठारी को पेंशन प्रकरण एवं नियुक्ति प्रकरण श्री कोठारी की पुत्री पलवी कोठारी द्वारा दिनांक 22.07.2021 को प्रस्तुत किया जिस पर अपचारी कर्मचारी ने उसी दिवस ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सुवाणा के समक्ष जरिए पत्रावली हस्ताक्षर रखा जिस पर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सुवाणा ने दिनांक 26.07.2021 को पेंशन प्रकरण नियुक्ति आवेदन हस्ताक्षरित किए।

(6) संस्थापन शाखा अपचारी कर्मचारी ने जरिए पत्रांक 125 दिनांक 26.07.2021 को पेंशन प्रकरण पेंशन विभाग अजमेर भिजवाया गया।

(7) ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सुवाणा की मंशा प्रकरण शुरू से ही सही नहीं थी। अतः प्रकरण को अनावश्यक दिनांक 14.06.2021 से 26.07.20201 तक

बिना किसी कारण एक माह 13 दिवस रोका जाना साक्ष्य के आधार प्रमाणित होता है।

(8) इसके उपरान्त भी ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सुवाणा ने स्व0 श्री कोठारी के उपार्जित अवकाश स्वीकृत दिवसो में अनावश्यक दिवसों का संशोधन प्रति0 अध्या0 श्री ताराचन्द्र नायक के द्वारा सेवा रेकार्ड में बिना संस्थापन शाखा अपने स्वंय के स्तर पर करवाया गया।

यह है कि स्व0 श्री कोठारी का पेंशन प्रकरण मय कुलक सेवा पुस्तिका पेंशन विभाग अजमेर से अक्षेपित कार्यालय ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सुवाणा को प्राप्त होकर आवक रजिस्टर क्रमांक 177 दिनांक 26.08.2021 पर दर्ज है। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सुवाणा द्वारा उक्त प्रकरण को उसी दिन श्री नरेन्द्र शर्मा, प्रधानाचार्य उ0मा0वि० रूपाहेली को दिया गया। जिस पर पावती के हस्ताक्षर श्री शर्मा प्राधानाचार्य के है। स्व0 श्री कोठारी की पुत्री द्वारा आवेदित अनुकम्पा नियुक्ति आवेदन अपूर्ण होने से आक्षेपित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक भीलवाड़ा से आवक रजिस्टर क्रमांक 183 दिनांक 31.08.2021 को प्राप्त हुआ। जिसे अपचारी कर्मचारी को दिया गया। उक्त प्रकरण उसी दिन तैयार कर जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक भीलवाडा को भिजवाया गया। दौराने प्रकरण संस्थापन प्रभारी श्रीमती सीमा शर्मा कार्यालय ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सुवाणा होने से श्री कोठारी का प्रकरण मय सेवा अभिलेख प्राप्त किया। जिसकी पावती रसीद आवक रजि0 क्रमांक 184 दिनांक 31.08.2021 पर श्रीमती सीमा शर्मा ने आवक जवाक शाखा प्रभारी से प्राप्त कर रसीद कर रखी है। संस्थापन प्रभारी श्रीमती सीमा शर्मा कार्यालय ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सुवाणा ने उक्त प्रकरण आवक रजि0 में दिनांक 01.09.2021 को पुनः आवक कर आवक क्रमांक. 185 दिनांक 01.09.2021 पर इन्द्राज कर पुनः उसी दिन श्री पारस शर्मा कम्प्यूटर आपरेटर कार्यालय ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सुवाणा को लेकर श्री पारस शर्मा से रसीद प्राप्त कर रखी है। श्री पारस शर्मा कम्प्यूटर आपरेटर पर दबाव डालकर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सुवाणा व श्रीमती सीमा शर्मा ने अपचारी कर्मचारी के विरूद्ध गलत बयान श्री पारस शर्मा से करवाये/लिखवाये गये है। जिसे स्वंय श्री पारस शर्मा ने उनके प्रार्थना पत्र दिनांक 27.10.2021, 30.03.2022 एवं 23.05.2022 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र /शपथ पत्र के जरिये स्वीकार किया है। अतः अपीलार्थी ने जिला कलक्टर भीलवाडा के आदेश क्रमांक एफ1–17(1)()/स्था/2021/16179 दिनांक 11.10.2022 को अपास्त करने हेतु निवेदन किया गया।

मैंनें अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील एवं अपील में व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान उठाये गए बिन्दुओं पर विचार किया तथा जिला कलक्टर भीलवाडा द्वारा प्रेषित टिप्पणी, मूल रेकार्ड व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात तथा प्रकरण में अपचारी कर्मचारी को जारी आरोप पत्रों एवं अपचारी कार्मिक द्वारा दिये गये आरोप के प्रत्युत्तर तथा अपचारी कार्मिक द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई में

प्रस्तुत किये गये तथ्यों एवं दस्तावेजात का अध्ययन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब को जिला कलक्टर भीलवाडा द्वारा नजर अन्दाज कर निर्णय पारित किया गया। अपीलार्थी को इतने वृहद दण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः इस संबंध में अपीलार्थी पर लगाये गये आरोप एवं इन आरोपों के आधार पर दण्ड बहाल रखे जाने का कोई औचित्य नहीं है। ऐसी स्थिति में जिला कलक्टर भीलवाडा द्वारा पारित दण्डादेश दिनांक 11.10.2022 अपास्त किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी श्री सत्यनारायण भाटी, वरिष्ठ सहायक, सीबीईओ सुवाणा, जिला भीलवाडा, की अपील सारयुक्त होकर स्वीकार किये जाने योग्य होने से स्वीकार की जाती है। प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त/ड्रॉप किया जाता है तथा जिला कलक्टर भीलवाडा द्वारा पारित दण्डादेश दिनांक 11.10.2022 अपास्त किया जाता है। निर्णय की सूचना संबंधित को दी जावे।

(भंवर लाल मेहरा),
संभागीय आयुक्त,
अजमेर